संख्या- 79 /2024/ 547 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 फरवरी, 2024

विषय:- नवनिर्मित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय परियोजना हेतु बढ़ी हुई जी0एस0टी0 धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-800/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2017-18-चतुर्थ दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 83/2022/ 413/चार-2022 दिनांक 27 मार्च, 2022 द्वारा प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के भवन निर्माण एवं एक्जीबिट कार्यों हेतु रू0 2210.76 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के भवन निर्माण एवं एक्जीबिट कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 13.07.2022 के पूर्व कराये गये कार्यों में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 व दिनांक 13.07.2022 के पश्चात् कराये गये कार्यों में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के आधार पर अतिरिक्त 06 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 48.47 लाख का भुगतान किये जाने के संबंध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के भवन निर्माण एवं एक्जीबिट कार्यों हेतु 06 प्रतिशत अतिरिक्त जी0एस0टी0 का भुगतान किये जाने हेतु रू0 48.47 लाख (रू0 अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर परियोजना की कार्यदायी संस्था- यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या- 83/2022/413/चार-2022 दिनांक 27 मार्च, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(4) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संग्रहालय निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, (यूपीसिडको) लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106- संग्रहालय -11- प्राकृतिक विज्ञान सग्रहालय, लखनऊ -24-वृहत निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 79 /2024/ 547 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- प्रभारी, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, यूपीसिडको, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी- सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
9- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।